

तारांकित प्रश्न क्रमांक 2475 परिशिष्ट 'अ'

नगर निगमों में उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थ अधिकारियों की जानकारी

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	मूल पद	मूल विभाग	निगम का नाम	लोकयुक्त / विभागीय जांच है अथवा नहीं	प्रतिनियुक्ति अवधि 03 वर्ष से अधिक अवधि हां/ नहीं	उच्च पद का प्रभार
1	श्री ओ.पी. भरद्वाज	सहायक यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण	भोपाल	नहीं	हां	उप नगर यंत्री
2	श्री के.बी.शर्मा	सहायक यंत्री	सहायक अभियंता (उत्पादन)	भोपाल	नहीं	हां	उप नगर यंत्री (विद्युत)
3	श्री के.के.पाठक	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग	भोपाल	नहीं	हां	प्रभारी सहायक यंत्री
4	श्री एच.एस.बेदी	उपयंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण	भोपाल	नहीं	हां	प्रभारी सहायक यंत्री
5	श्री एच.एस.फुलारे	उपयंत्री	नगर पालिका नसरुल्लागंज	भोपाल	नहीं	-	प्रभारी सहायक यंत्री
6	श्री एम.पी.शांडिल्ये	सामुदायिक विकास अधिकारी	नगर तथा ग्राम निवेश	भोपाल	नहीं	हां	जोनल अधिकारी
7	श्री श्रीराम पटेल	सहायक राजस्व निरीक्षक	नगर पालिका, मण्डीदीप	भोपाल	नहीं	-	राजस्व प्रभारी
8	श्री सम्पूर्णा नंद मिश्रा	सी.एम.ओ.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	उज्जैन	नहीं	हां	उपायुक्त
9	श्री योगेन्द्र सिंह पटेल	सी.एम.ओ.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	उज्जैन	नहीं	नहीं	उपायुक्त
10	श्री रवि भट्ट	सी.एम.ओ.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	उज्जैन	नहीं	नहीं	उपायुक्त
11	श्री सुबोध जैन	राजस्व निरीक्षक	नगर पालिका सेवा	उज्जैन	नहीं	नहीं	राजस्व अधिकारी

सहायक संचालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-14/06/3/एक

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय: — बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत।

संदर्भ: — सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए 10-18/88/49/एक दिनांक 2.12.88 ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3 एक दिनांक 12.12.94 एवं ज्ञापन क्रमांक सी/3-7/95/3/एक दिनांक 5 जून, 1995 उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरासित करते हुए निम्नानुसार एकजायी आदेश जारी किये जाते हैं:—

- (एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकारियों के नामों का पैनल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी के मंगाना चाहिए।
- (दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने को सहमत हो तो उक्त जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए।
- (तीन) उक्त पैनल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरांत चयनित लोक सेवक की सेवाएं कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए।
- (चार) विभाग लोक सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएं लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात एवं पैनल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाएं सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए। आदेश में यह स्पष्ट टीप अंकित करना चाहिए कि सेवाएं लेने वाले विभाग पदस्थापना के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें। पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैतृक विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया जाए।
- (पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दोनों विभागों का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस की जा सकेंगी।

2. इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3/एक दिनांक 12-12-1994 के निर्देश अनुसार 4 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिस

विभाग से सेवारे ली गई है उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाए अब ऐसे मामले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निगमकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे।

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शीय सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये।
4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के लिए भी लागू होंगी।

हस्ता/-
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-387/681/2008/दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 1-03-2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश।

विषय:— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को धुलाई भत्ता।

संदर्भ:— इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2003/दो-ए (3), दिनांक 31 जुलाई, 2004

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि रुपये 30/- (तीस रुपये) के स्थान पर रुपये 50/- (पचास रुपये केवल) प्रतिमाह भुगतान की जाय। यह भुगतान इस शर्त के साथ किये जावे कि समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय में नियमित रूप से वर्दी पहन कर आवें।

2. इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित विभाग के बजट प्रावधान से की जावेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 397/08/नियम/चार/दिनांक 1-3-2008 द्वारा सहमति से प्राप्त कर जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(दशरथ कुमार)
अवर सचिव
म.प्र. शासन गृह (सामान्य) विभाग


अवर सचिव
म.प्र. शासन
कर्मचारी विभाग

अवर सचिव